

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

आदेश

राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार के राज्य बीमा विभाग की 31 मार्च, 2019 को बीमा निधि की वीमांकन मूल्यांकन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित बोनस घोषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 31.03.2019 को प्रवृत्त उन समस्त सावधि समाश्वासन, संविदाओं पर जो 01.04.2018 को या उसके पश्चात् अथवा प्रारंभ की तारीख को, जो भी बाद में हो और 31.03.2019 के पूर्व स्वीकृत हुई हो, प्रत्येक समाश्वासन वर्ष की बाबत पूरी वीमाकृत राशि के लिए, वीमाकृत राशि, जिसमें अतिरिक्त वीमाकृत राशि या विशेष वृद्धि सम्मिलित है, के प्रत्येक हजार पर 90/- रुपये प्रतिवर्ष का साधारण प्रतिवर्ती (रिवर्सनरी) बोनस।
- 31.03.2019 को प्रवृत्त उन समस्त आजीवन समाश्वासन संविदाओं पर जो 01.04.2018 को या उसके पश्चात् अथवा प्रारंभ की तारीख को, जो भी बाद में हो और 31.03.2019 के पूर्व स्वीकृत हुई हो, प्रत्येक समाश्वासन वर्ष की बाबत पूरी वीमाकृत राशि के लिए, वीमाकृत राशि, जिसमें अतिरिक्त वीमाकृत राशि या विशेष वृद्धि सम्मिलित है, के प्रत्येक हजार पर 112.5/- रुपये प्रतिवर्ष का साधारण प्रतिवर्ती बोनस।
- 31.03.2019 के पश्चात् और अगला मूल्यांकन परिणाम घोषित होने तक परिपक्वता एवम् मृत्यु दावों में परिणित होने वाली उन समाश्वासन संविदाओं पर जो 31.03.2019 को या उसके पश्चात् स्वीकृत हुई हो, प्रत्येक समाश्वासन के लिए निम्न प्रकार से अंतरिम बोनस :-
 - (1) सावधि समाश्वासन की वीमाकृत राशि, जिसमें अतिरिक्त वीमाकृत राशि या विशेष वृद्धि सम्मिलित है, पर 90/- रुपये प्रति हजार प्रतिवर्ष।
 - (2) आजीवन समाश्वासन की वीमाकृत राशि, जिसमें अतिरिक्त वीमाकृत राशि या विशेष वृद्धि सम्मिलित है, पर 112.5/- रुपये प्रति हजार प्रतिवर्ष।
- अगला मूल्यांकन परिणाम घोषित होने तक परिपक्वता दावों में परिणित होने वाली पॉलिसियों के बाबत समाश्वासन के प्रारंभ होने से लेकर परिपक्वता की तारीख तक प्रत्येक समाश्वासन वर्ष के लिए, वीमाकृत राशि जिसमें अतिरिक्त वीमाकृत राशि या विशेष वृद्धि सम्मिलित है, पर प्रति हजार 4/- रुपये की दर से पर्यवतायी (टर्मीनल) बोनस (अंतरिम बोनस के अतिरिक्त)।
- उपरोक्त पैरा 1, 2 एवम् 3 में उल्लेखित बोनस की दरें उन समाश्वासन संविदाओं पर लागू नहीं होंगी जो इस आदेश के जारी होने के पूर्व परिपक्वता एवम् मृत्यु दावों में परिणित हो गये हैं, और ऐसी समाश्वासन संविदाएँ आदेश संख्या प 12(30)वित्त/राजस्थ/76 लूज दिनांक 08.06.2021 द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार निपटायी जाएंगी।

360
20/03/2019

आज्ञा से,
(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (बीमा) विभाग

६० ४३३०



भीम

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।
5. समस्त कलक्टर।
6. राजकीय निदेशक वित्त (कम्प्यूटर) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव 18/10/2021

क्रमांक एफ 19/बीमा/व्य0एवंप0/2003-04/1367-1417

दिनांक 20/10/2021

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, मुख्यालय जयपुर।
2. समस्त अधिकारीगण मुख्यालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (सिस्टम) मुख्यालय जयपुर को विभागीय पॉर्टल पर अपलोड एवं आवश्यक संशोधन हेतु।
4. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग समस्त संभाग कार्यालय।
5. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग समस्त जिला कार्यालय।
6. पर्यवेक्षक बीमा (मूल्यांकन/लेखा एवं अंकेक्षण/आन्तरिक जाँच दल) अनुभाग, मुख्यालय जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (बीमा)
राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग
राजस्थान जयपुर